फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

गुलजारी बनाम सुरजाराम आदि

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट

प्रकरण संख्या 205 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
05.08.2024	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे । वकील प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अत : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी तक रोही मौजा चक 11 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 165/156 की कुल 1.265 हैक्ट भूमि की सीवं व डोल को मिस्मार न करे। उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा। वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड सम्मन पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 05.09.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नोहर	
5/9/24	पत्रावली पेश हुई श्रीमान्‌जी पी.ओ. [redacted] .. अन्य कार्य में व्यस्त ..... सम्मन पेश पत्रावली दि0 18/10/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नोहर	
18/10/24	पत्रावली पेश हुई श्रीमान्‌जी पी.ओ. [redacted] .. अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली दि0 28/1/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नोहर	
28/1/25	पत्रावली पेश हुई श्रीमान्‌जी पी.ओ. [redacted] .. अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली दि0 3/2/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नोहर	
3/2/25	पत्रावली पेश हुई वकील [illegible] बाकी। बाकी उपस्थित नहीं पुनः वकील [illegible] बार बार आवाज लगवाई [illegible] रवीन्द्र [illegible] नहीं आया [illegible] अतः [illegible] परिवाद खारिज [illegible] हो। उपखण्ड अधिकारी नोहर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:37:29 IST
Reason: SelfAttested